MR CHAIRMAN The question is·

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Payment of Wages Act, 1936"

The motion was adopted

SHRI PRASANNBHAI MEHTA I introduce the Bill.

15.31½ hrs.

PAYMENT OF GRATUITY (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of sections 2, 4 etc)

SHRI PRASANNBHAI MEHTA (Bhavnagar) I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Payment of Gratuity Act, 1972

MR CHAIRMAN The question is

'That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Payment of Gratuity Act 1972"

The motion was adopted

SHRI PRASANNBHAI MEHTA I introduce the Bill

---

15 32 hrs.

EMPLOYEES' PROVIDENT FUNDS AND MISCELLANEOUS PROVISIONS (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of sections 1, 2, etc)

SHRI PRASANNBHAI MEHTA (Bhavnagar) I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952

MR CHAIRMAN The question is

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 '

The motion was adopted

SHRI PRASANNBHAI MEHTA: I introduce the Bill

15.32½ hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Insertion of new article 16A)

SHRI ROOP NATH SINGH YADAV (Pratapgarh) I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India

MR CHAIRMAN The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India'

The motion was adopted

SHRI ROOP NATH SINGH YADAV: I introduce the Bill

---

15 33 hrs

MENTAL HEALTH BILL—*Contd.*

By Dr Sushila Nayar

MR CHAIRMAN We now take up further consideration of the following motion moved by Dr Sushila Nayar on the 23rd March 1978, namely

"That the Bill to consolidate and amend the law relating to the treatment and care of mentally ill persons, to make better provision with respect to their property and affairs and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration"

SHRI FURNA SINHA (Tezpur) Sir, Dr Nayar's Bill is a step in the direction of looking into the cases of the mentally deranged in the society brought for medical care, confined to the procedure of their detention, confinement and care of their person and property Under the Lunacy Act, there

---

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 7-4-1978

are provisions for almost the same things as envisaged by Dr. Nayar, in this Bill. But what I find wanting is, however, the point *viz.* how easily the mentally sick persons could be brought to the psychiatrist, for the observation, then care and treatment as a disease which is curable.

After the first phase of treatment when a patient goes back to the society, what care should be taken to see that the relapse does not occur, and that he does not come back to the mental hospital, to remain confined for another period of years, as a result of which he never becomes a person useful to the society? This is to be taken into consideration in drawing up any Bill or in devising any measures for treatment of the mentally ill persons. As you all know, insanity is not a continuous process. There are fits of insanity. There are instances when people undergoing treatment in mental hospitals have been found to be sane, completely cured and have been given a vocation, such as to work in a vegetable garden. Suddenly, all of a sudden, he becomes mad. Very soon, within a short time, he becomes sane again and his Superintendent will see him doing the normal work. In the same way, people who have been normal, who have been doing work there, all of a sudden, relapse to a period of insanity, attempt to strangulate the people who look after them. Many such things have happened.

As I have told you the other day, I live nearest to the mental hospital in my constituency and I have also been the President of the Association of Workers there. Their conditions of work are deplorable. It is no exaggeration to say that 50 per cent of the workers, both male and female keepers, have been injured by the inmates when they became insane. The restrictions imposed on them by their conditions of work are such that they cannot use any weapons even to chastise insane people. They wear uniforms and waist belts. Even that waist belt cannot be used for self-defence. But all the while they have to look after the insane persons. This is one aspect which I have come across during my visits to that place and my discussions with those workers. No special allowance is given to them for the risk which they are taking and no compensation is given to them if they die while in such a service. After all, they are only fourth grade employees, but they are looking after, not criminals in a jail, but non-criminals who are more dangerous, namely, lunatics inside the hospital. This aspect should be considered.

Another aspect is, after a mental patient has been discharged after cure, when he goes back to society, there is a likelihood of his becoming insane again. His relatives may be enjoying his property. But they will not take care of him, unless his parents or children are living. The other relations, like cousins and brothers will not look after him. Therefore, I would suggest that there should be some sort of levy on the people who are enjoying the property of people who are suffering from mental diseases, and that money should be utilized for running some asylum where these people can be kept for the rest of their life. They can cultivate vegetable, tend cattle or do some such odd jobs, or they may be employed even in the mental hospital. Some of the patients after treatment become useless for intelligent work, become just automatons, who can do only fixed kind of work, or monotonous work like drawing water from a well or cutting earth. That kind of work can be given to them outside the hospital also. The hospital should not remain a prison for him. He can be taken to an open air asylum, where he can be given some sort of jobs like cutting earth, looking after cattle or growing vegetables. These are also aspects which have to be considered when we discuss a Bill relating to people who are mentally ill.

[Shri Purna Sinha]

Those people who work with mental patients for 10 or 15 years continuously do not remain sane. They also become abnormal and behave like insane people

AN HON MEMBER Then what is the fate of the President of the Workers' Association?

SHRI PURAN SINHA I go there only casually to look after them A person who works with mental patients day in and day out for eight hours a day becomes abnormal in course of time During my work connected with the Association I have noticed that even educated people even people who come from higher strata of society, when they work in these hospitals for long periods, behave in such a way that we feel they have to become insane So, some care should be taken of those people also They should not be made to work for their full term as Government employees in those hospitals After working there for about ten years or so they should be transferred elsewhere so that they do not develop insanity and thereby ruin not only themselves but also their families That has also to be seen besides looking after his security and after care

A Bill like this may be a very good exercise it is commendable, because during the last 30 years the Congress Government did not look into the case of the insane people The insane people on the streets behave madly They have to be brought under treatment because lunacy has been found to be curable The insane can be made useful members of society But this Bill must also look into certain aspects which can be known by a direct study of a mental hospital, whether at Tezpur Ranchi or any other place We have to find out the real causes of insanity, how to mitigate it and have to prevent people becoming insane.

I can give one instance There was an illiterate poor, young boy in my State who became insane and was confined to a mental hospital You will be surprised to know that after three years of his detention in the mental hospital, he drew sketches, formed models, then he became sane and was released. Today, he is an outstanding artist in my constituency He models good figures, he designs, he draws and his artistic work is on display to the public But, he again became insane, how? I may give you the real story. He was asked to erect a monument of the 1942 movement at a place where there was police firing in which 18 or 19 people had died The design was his own He started doing work but the people who were supposed to pay him did not pay him regularly What happened? One day he became insane. He took a hammer in his hand and started breaking whatever he had built He became violent, and had to be detained in a mental hospital So, I say, insanity is not incurable, but if, after treatment sufficient care is not taken of the person who was insane earlier, he may become insane again

This Bill only suggests what should be done with the property of the insane, how to look after the insane, who should be the visitors etc But these are only superficial things which are also covered by the Indian Lunacy Act There should be a Lunacy Act which would go into the matter from top to bottom, from the root of it to the ultimate cure For that purpose I think Government should also take the opinion of experts in the medical field psychiatrists, in drafting a Bill which would supersede the provisions of the present Indian Lunacy Act and decide how to treat the criminal and non-criminal lunatics It should also decide whether a mental hospital should be only State-owned, a small asylum or prison for insane people, or it should be a real hospital, a national institution where people from all parts of the country may find a place easily. There should be a scientific basis for their treatment and cure, so that they may return to society as useful persons Such a Bill is necessary.

I have taken part in the discussion on this Bill because I have some personal knowledge as to how a mental hospital is being managed, how the people working there behave, the medical attention paid to the patients and the treatment meted out to them. I would appeal to the hon Mover of the Bill to withdraw it and leave it to the Government to bring forward a comprehensive Bill The other day the hon Health Minister stated that the Government was contemplating bringing forward such a Bill which would cover all the aspects of the mentally ill I do support the principle of the Bill, the spirit of it, and I congratulate the hon ex Minister on the pains she has taken in presenting it, but I feel that a comprehensive Bill by the Government will be more appreciated The provisions to be included therein should be based on technical knowledge as also the other aspect which I have already pointed out

With these words, I request Dr Nayar to withdraw her Bill

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) सभापति महोदय, अभी हमारे माननीय मित्र सिन्हा साहब ने यह कहा है कि डाक्टर नायर इस विधेयक को वापस कर ले । मैं बहुत चकित हो गया कि जो काम सरकार नहीं कर सकी उस को एक गैरसरकारी सदस्य उपस्थित कर रही है, उन्होंने इतना परिश्रम किया है और उस को वह वापस कर लेने के लिए कहते है । वस्तुत डा० नायर केवल एक सामान्य सदस्य नही है बल्कि वह इस स्वास्थ्य विभाग की एक अधिकारिणी रह चुकी है और एक विशेषज्ञ हैं । यह इडियन ल्यूनेसी ऐक्ट 1912 का है । आज यह 65 साल पुराना हो गया है । असल इस का इतिहास तो यह है कि 1890 में इंग्लिश ऐक्ट बना और उसी के आधार पर यह इंडियन ल्यूनेसी एक्ट 1912 का बना । इस का यह नाम ही बताता है कि यह बिल्कुल आउट आफ डेट है । यह ल्यूनेसी नाम ही गलत है । बिल्कुल अन्धविश्वास और रूढिवादिता के आधार पर यह ल्यूनेसी शब्द है । किसी को ल्यूना का, चन्द्रमा का कोई प्रकोप होगा और वह पागल हो जायगा । यह तो बिल्कुल मीडिएवल पीरियड में जो अन्धविश्वास की थियोरी थी, थयोरी आफ ऐकिटयालाजी आफ पैरासीलियस वह चीज है । इसीलिए उन्होने कितना सुन्दर नाम रखा है—मानसिक स्वास्थ्य विधेयक । वस्तुत· पागलपन एक सोशल स्टिग्मा के रूप में है और कोई पागल होता है तो हम लोग भी ऐसा समझते हैं कि वस्तुत. जिस प्रकार से सार्वजनिक स्वास्थ्य है उसी प्रकार से यह मानसिक स्वास्थ्य भी है समूची दुनिया की जो फिगर्स हैं उन को देखने से ऐसा मालूम पडता है कि जैसे जैसे हमारा समाज ज्यादा काम्पलेक्स हो रहा है उसी प्रकार से यह मानसिक बीमारिया बढती जा रही है । न्यूरोसिस, साइकोसिस, सीजाफ्रेनिया, डिमनेशिया प्रीकाक्स और और भी कितने ही प्रकार की यह बीमारिया होती है । यही नहीं बहुत सी जो बीमारिया होती हैं, एपलेप्सी और ब्लड प्रेशर वगैरह भी उसी से धीरे धीरे बढते हैं । दुनिया मे इस के सबध मे काफी विचार चल रहा है । डेन्मार्क मे यह बीमारी 1 परसेंट है । यू एस एस आर मे 1 परसेंट मानसिक बीमारी के लोग हैं । यू एस ए में 3 परसेंट है । कैनाडा मे 3 4 परसेट है, यू के मे 2 परसेंट है जर्मनी मे 3 परसेंट हैं और हिन्दुस्तान मे अभी तक सरकार आकडे भी उपस्थित नहीं कर सकी है । सरकार के पास आकडे नही है कि कितने लोग मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं एक सैम्पल सर्वे के मुताबिक कहा गया है कि 3 से 5 प्रतिशत लोग यहा मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं । जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञ पुरुष है उन्होने अन्दाजा किया है कि 5 मिलियन लोग हमारे यहा मानसिक रूप से बीमार हैं ।

[डा० रामजी सिंह]

अब जब इतनी बड़ी समस्या हो यानि जितने देश में अंधे हैं इससे ज्यादा मानसिक रोगी हैं, राष्ट्र के समक्ष ऐसी बड़ी समस्या जब खड़ी हो तो इसका समाधान होना चाहिए और अभी सिन्हा जी ने जो कहा कि इसका वापस करलें यह सचमुच चकित कर देने की बात है। सरकार के सामने जब भी ऐसा प्रश्न आया है तो वही पिटा पिटाया उत्तर मिला है कि सरकार इस विधेयक को ला रही है । डा० कर्ण सिंह का भी मैंने ऐसा ही उत्तर देखा कि हम ला रहे हैं और 1963 में भी यह कहा गया कि हम ला रहे हैं। तो यह कब तक लाएंगे? क्या जब तक सरकार खुद पागल न हो जाए तब तक? इसलिए मैं समझता हूं डा० नैयर ने इस सदन का और विशेषकर स्वास्थ्य विभाग का बड़ा उपकार किया है जब उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 1977 यहां सदन में पेश किया। उन्होंने इस विधेयक को पेश करने में बड़ी मेहनत की है और काफी अध्ययन किया है (व्यवधान) मैं इस बात को सुनकर आश्वस्त हुआ हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जी इससे भी ज्यादा कांप्रिहेंसिव बिल लायेंगे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : ला दिये हैं ।

डा० रामजी सिंह : यह अच्छी बात है कि आप ला दिये हैं। कुछ संशोधन करके उसको पास किया जा सकता है। डा० नैयर ने अपने विधेयक के द्वारा पहले तो इसके नाम का पुनसंस्कार किया है । ल्यूनेसी शब्द से ही लोगों के दिल सहम जाते हैं। इसलिए उन्होंने इसके नाम में परिवर्तन किया है। फिर उन्होंने प्रवेश के संबंध में कहा है इंडियन ल्यूनेसी ऐक्ट में जो प्रवेश विधियां हैं वह बहुत ही कम्बर्सम हैं । उसमें आउट डोर पेशेंटस के लिए कोई सुविधा नहीं है। यही नहीं और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे संश्लिष्ट समाज के अनुरूप नहीं हैं। हिन्दुस्तान में 4 दिसम्बर, 1970 को जो थर्ड नेशनल कान्फ्रेन्स आन वेलफेयर आफ मेन्टली रिटायर्ड हुई थी उनमें भी इन समस्याओं पर काफी जोर दिया गया था। वास्तव में ही मानसिक स्वास्थ्य की समस्या इस आधुनिक युग में बहुत ही प्रधान और महत्वपूर्ण समस्या है। अमरीका में जो यू०एस०ए०कमेटी आन हैंडीकैप्ड पर्सन्स बनी थी तो वहां के प्रेसीडेन्ट कनेडी ने 1963 में कहा था :

"There should be a war on mental retardation."

हार्वर्ड यनिवर्सिटी रेव्यू की रिपोर्ट है कि न्यूयार्क स्टेट में बीस में एक आदमी पागल खाने में रहता है । आज वस्तुतः जो समस्या हमारे सामने है वह जैसे जैसे समाज संश्लिष्ट हो रहा है वैसे वैसे यह समस्या और भी विकराल बनती जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाईजेशन ने इस संबंध में जो सुझाव दिये हैं, मैं समझता हूं माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो कांप्रिहेंसिव बिल रखा है उसमें उन चीजों पर ध्यान दिया होगा। वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाईजेशन ने मेंटल हेल्थ के सम्बन्ध में जो चर्चा की है उसमें एक अनुशंसा उन्होंने की है :

"The Committee recommends that 1954 Report continue to be used as a guide to the organisation of the services for the mentally retarded."

इस सम्बन्ध में मैं इसका विस्तार नहीं करना चाहता। यह ठीक बात है अगर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि जल्दी जल्दी से बिल ले आयेंगे और उस बिल में कुछ संशोधनों की अगर जरूरत होगी, जैसे कि डा० नैयर के मानसिक स्वास्थ्य विधेयक में कुछ अच्छी चीजें हैं, उनका समावेश करके यह सदन उस विधेयक को पारित कर सकेगा और उसके लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी धन्यवाद के पात्र होंगे ।

इस सम्बन्ध में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। अपने देश में जो मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी हास्पिटल हैं उनमें किस प्रकार का कष्ट होता है उसके कुछ उदाहरण डा० सुशीला जी ने दिए हैं। उस दिन उन्होंने बताया था कि श्रीनगर के अस्पताल में कुछ बीमार जाड़े के कारण मर गए। जेलों में भी पागलों को किस क्लेश के साथ रखा जाता है वह इमर्जेंसी में हमने देखा। तो मैं यह

कहना चाहता हूं कि इसके लिए अधिक से अधिक अस्पताल होने चाहिए। अभी तक 34 या ज्यादा से ज्यादा 50 हैं। उनकी सख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज की अवस्था से जब कि हमारा समाज—परिवार के अन्दर तनाव, सस्थाओ के अन्दर तनाव, पार्टियो के अन्दर तनाव—रोज हमारा जीवन तनावो से अभिपूरित हा रहा है, ऐसे समय मे मानसिक स्वास्थ्य के सम्बन्ध मे सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिये। यह भी जनस्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण अग है।

हमे पूर्ण विश्वास है कि सुशीला बहन ने जो परिश्रम किया है और जो महत्वपूर्ण सुझाव रखे हैं उन का समावेश भी सरकारी विधेयक म हागा। इन्ही शब्दो के साथ मैं माननीय मत्री जी मे आग्रह करना चाहूगा कि इसी सत्र मे वह बिल हमारी सुशीला बहन के सुझावो के साथ पारित करने की दिशा मे प्रयत्न करें

श्री ओम प्रकाश त्यागी (बहराइच) मैं बहन सुशीला जी को बहुत धन्यवाद देता हू—उन्होने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। परन्तु जैसा सरकार ने कहा है कि सरकार विधेयक बना रही है, बल्कि बन चुका है और पेश होने वाला है, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि 1912 में अग्रेज सरकार ने पागलपन के बारे में एक विधेयक बनाया था, उस के बाद अब तीस साल बाद हमारा ध्यान उस तरफ़ गया। इस लिये मै ऐसा समझता हू कि हमारी जनता सरकार के स्वास्थ्य मत्री—श्री राज नारायण जी—इस बात के लिये बधाई के पात्र हैं।

लेकिन मैं बहिन जी का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करूगा—आप ने पागलपन की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है, परन्तु हमारे देश के सामने एक और समस्या भी है। इस देश मे अर्ध-पागलों की सख्या बढती जा रही है, उन का समाधान इस विधेयक मे कैसे किया जायगा। मैं राज नारायण जी से भी यह सवाल पूछना चाहता हू—पागल तो इस देश में हैं ही, लेकिन अर्ध-पागल की सख्या भी इस देश में बढती जा रही है, उन का समाधान आप कैसे करेंगे ? 19 महीने के एमर्जेन्सी के काल मे हमने इन अर्ध-पागलो की स्थिति को देखा—इस लिये इन का समाधान भी होना बहुत जरूरी है। इस बिल से तो इन का समाधान मुझे सम्भव नही दिखाई पडता है। लेकिन एक बात में अवश्य कहना चाहता हू, यद्यपि इस बिल से तो उस का सीधा सम्बन्ध नही है, लेकिन सुझाव के रूप मे कहना चाहता हू। हमारे यहा आयुर्वेद का सिद्धान्त है कि बीमारी को दबाने के बजाय, बीमारी की जड को दूर किया जाये। सूखते हुए पेड का हरा करना है, तो पत्तो पर पानी छिडकने से बात नही बनेगी, उस की जड में पानी पहुचाना होगा। हम यह सोचना होगा कि पागलपन का कारण क्या है ? पागलपन का मूल कारण क्या है और किस कारण से पागलपन पैदा होता है। सभापति महोदय, पागलपन अब और वृद्धि पर चलेगा, पागलो की सख्या यहा बढती जायेगी—ऐसा मुझे भय लग रहा है। अभी जो आकडे डा० रामजी सिह ने दिए है उन से स्पष्ट हो जाता है कि यूरोप में भी यह समस्या बहुत जोरो पर है। पागलपन की समस्या शारीरिक नही, मानसिक रोग है। मन की अवस्था जब उस सीमा पर पहुच जाती है कि वह कन्ट्रोल नही कर पाता है, उस की बुद्धि और आत्मा कन्ट्रोल से बाहर हो जाती है, बुद्धि असफल हो जाती है, तब पागलपन पैदा हो जाता है। इस का मूलकारण है, मन का अशान्त होना और मन के अशान्त होने का कारण है—ये तमाम समस्यायें। वर्तमान समाज की समस्यायें इतनी टेढ़ी और जटिल बन गई हैं कि उन का समाधान करने म हर माता-पिता लगभग अर्ध-पागल

[श्री ओम प्रकाश त्यागी]

वैसे चल रहे हैं। इस देश में उस का सारा कारण है—गरीबी, बेकारी और नशा। इन कारणों से ये चीजें आ रही हैं। अगर सरकार चाहती है कि देश में पागलो की संख्या कम हो और उन की बेचैनी का इलाज हो और उन की प्रोपर्टी की रक्षा के लिए कुछ प्रबन्ध हो, तो मैं यह समझता हू कि उन कारणों को दूर करने की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए जिन की वजह से लोग पागल हो जाते हैं। केवल स्वास्थ्य मंत्री जी के कुछ करने से बात नहीं बनेगी। इस में वित्त मंत्रालय शामिल होना चाहिए और इस में होम मिनिस्ट्री भी शामिल होनी चाहिए। इन स। के कोपरेशन से ही मूल समस्या का समाधान हो सकेगा। मैं आप को एक उदाहरण देना चाहता हू। आज स्थिति यह है कि मां–बाप अपनी लड़की को पढ़ाते हैं और जब वह बडी हो जाती है, तो उन के सामने उस की शादी की समस्या आ कर खडी हो जाती है। लडके वाले पैसे की मांग करते है। अब अगर किसी माता-पिता के दो, तीन लडकिया हैं और उस के पास पैसा देने के लिए नहीं है, तो वे पागल नही होंगे तो क्या होंगे। मैं उन लडकियो को जानता हूं जो पागल जैसी अवस्था मे आ गई हैं। आज समाज की स्थिति इतनी टेढी और जटिल बन गई है कि बेकारी इस देश मे बढ गई हैं और जो गरीब लोग है वे न मालूम क्या क्या ऊट-पटाग खाते हैं और पीते है और पागल जैसी उन की अवस्था हो जाती है। इस तरह की चीजो पर नियंत्रण करना होगा और इन समस्यायो के समाधान होने के पश्चात् अगर कोई पागल बनता है, तो फिर उस की परवाह करनी चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस विधयक मे इस तरह की बातो की तरफ ध्यान आकृष्ट नहीं किया गया है। पागल की प्रोपर्टी का ध्यान किया जाए, इस के बारे म इस विधेयक में कहा गया है। मै तो यह चाहूंगा कि पहले उस की मेन्टल हैल्थ का ध्यान किया जाए। इस में सवाल यह पैदा होता है कि उस पागल का ध्यान कौन करे? सब से पहली बात यह आती है। आज हम देखते हैं कि गलियो में और सड़को मे पागल घूमते रहते हैं। नौजवान पागल लड़किया घूमती रहती हैं और उन के सामने पुलिस खडी तमाशा देखती रहती है। बालक, गलियो मे उन पागलो के पत्थर मारते है और वे नंगे, फटे पुराने कपडे पहने घूमते रहते हैं और चौराहो पर खडे हुए हंसते रहते हैं। उनकी तरफ कोई ध्यान नही दिया जाता है। इसलिए मे चाहूगा कि कानून मे इस तरह का परिवर्तन करना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति के पागलपन की रिपोर्ट आए, तो पुलिसवालो का यह कर्त्तव्य हो जाना चाहिए कि वह उस पागल को ला कर अस्पताल में बाकायदा पहुचाए।

16:00 hrs.

मैं आप को एक उदाहरण देना चाहूगा। मैं अभी कलकत्ता गया था। वहा मैंने एक अच्छे घराने की पागल स्त्री को देखा। वह बहुत सुन्दर स्त्री थी यानी नौजवान थी लेकिन उस के बच्चा न होने के कारण उस के पति ने उस को तंग किया। एकाध महीना वह उस के साथ रही लेकिन बाद में पागल अवस्था में आ गई। इस का परिणाम क्या हुआ कि वह गुण्डो के हाथ में आ गई। मैं आर्य समाज में पहुचा हुआ था, मेरे पास इस बात की रिपोर्ट आई। वह भले घर की स्त्री थी। मैंने उस स्त्री को वहाँ से ला कर रांची के अस्पताल मे भिजवाया ताकि वहां पर उसका इलाज हो सके।

अभी कल परसो की ही बात है। मैं 29 मार्च को लखनऊ स्टेशन पर था। वहां मैंने शाम को एक नौजवान लडकी पागलो की तरह हसती फिरती देखी। एक तरफ वह हसती फिरती थी और उस के पीछे एक और पागल बोलता आ रहा था "मैं यह कर दूगा और वह कर दूंगा, मैं गवर्नमैंट बदल दूंगा"। मैंने कहा यह क्या बात है। जहां पर लखनऊ मेल आ कर रुकती है

उस प्लेटफार्म पर दो पागल थे, एक बहू थी और एक वे समस्त थे। कोई मिलिट्री का आदमी मालूम पड़ता था। उसकी कोई-न-कोई समस्या होगी क्योंकि यूनिफार्म उसके कंधे पर थी। वह पुरानी जरूर थी।

हर शहर में इस प्रकार की घटनाएं आपको मिल जाएंगी लेकिन उन बिचारों की कोई पूछने वाला नहीं है। मैं यहीं दिल्ली शहर में एक ऐसी पागल औरत को जानता हूं जो कि गुण्डों के हाथ में पड़ गयी। उस बिचारी के गर्भ रह गया। उसके बच्चा हुआ और वह उस बच्चे को लिये घूमती रही। किसी ने उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया। आज हमारे देश में ऐसी स्थिति है। ऐसे लोगों की क्या दुर्दशा होती है, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है।

इसलिए पहले तो मैं यह चाहता हूं कि सरकार को अपना यह कर्तव्य समझना चाहिए कि इस प्रकार के लोगों को वह अस्पताल पहुंचायें। जो इस प्रकार से सड़कों पर मारे-मारे फिरते हैं उनके लिए अस्पतालों में व्यवस्था होनी चाहिए। आप बेशक इसके लिए संविधान में परिवर्तन कीजिए, या कोई कानून बनाइये या होम मिनिस्ट्री में ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए जिससे पुलिस पर यह जिम्मेदारी हो कि वह ऐसे लोगों को अस्पताल पहुंचाये।

आपने प्रापर्टी के बारे में तो सोचा है लेकिन बहुत सारे लोग समाज में ऐसे भी हैं जो पागल हो जाते हैं। उनके पागल हो जाने के बाद उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं। उनका पूरा का पूरा परिवार अनाथ हो जाता है। परिवार की पूछताछ करने वाला कोई नहीं होता है। मोहल्ले के लोग उस परिवार के सदस्यों का अनुचित लाभ उठाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं लगभग 40 वर्षों से सामाजिक कार्य करता आ रहा हूं इसलिए मैं जानता हूं कि किसी परिवार का यदि कमाने वाला पागल हो गया है तो उसके परिवार के सदस्यों की क्या अवस्था होती है। उसकी नौजवान लड़की है, छोटा बच्चा है, कमाने वाला तो पागल हो गया, उसके परिवार का क्या बनेगा, इसे कोई नहीं देखता है। उसके पास कोई प्रापर्टी नहीं है। उसकी असली प्रापर्टी तो उसके बच्चे हैं, उसकी धर्म पत्नी है। उनको देखने वाला कोई नहीं होता।

मैं अस्पताल की व्यवस्था के बारे में भी कहना चाहूंगा। वैसे तो आपको ज्ञान होगा कि देश में कितने पागल हैं, उनकी संख्या के अनुसार कितने अस्पतालों की आवश्यकता है, और इस समय हमारे देश में कितने अस्पताल हैं। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि पागल की बात तो अलग है, आज एक टी०बी० के बीमार को अस्पताल में दाखिला नहीं मिलता है। लोग दाखिले के लिए हमारे पास रिकमण्डेशंस के लिए आते हैं। देश में बीमारियां बढ़ रही हैं लेकिन उनके हिसाब से देश में अस्पताल नहीं बढ़ रहे हैं। देश में आज अस्पतालों की बड़ी कमी है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि आप चाहें आयुर्वेद या होम्योपैथी का इलाज करायें लेकिन रोगियों के इलाज की देश में पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। हर व्यक्ति को बगैर किसी सिफारिश के अस्पताल में दाखिला मिल जाए, ऐसी व्यवस्था आप करें।

श्रीमन यह मस्तिष्क क्यों बिगड़ता है? यह मन के असंतुलन से बिगड़ता है। हमारे देश में वर्तमान समय में यह व्यवस्था नहीं है कि हम ऐसे रोगियों के दाखिले का पूरा प्रयास कर सकें। रोगी को सिफारिश से ही दाखिला मिलता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि वे ऐसी व्यवस्था कर दें जिससे बिना किसी सिफारिश के इस प्रकार के रोगियों को अस्पतालों में दाखिला मिल जाए। मैं मंत्री महोदय से सहमत हूं कि यह एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक खोज हुई है कि मन के असंतुलन से मस्तिष्क का संतुलन खराब हो जाता है।

[श्री श्रोम प्रकाश त्यागी]

इस मन के असंतुलन से केवल व्यक्ति पागल ही नही हो जाता बल्कि बहुत सी ऐसी बीमारियो भी लग जाती हैं। बहुत-सी बीमारियो की जड यह मानसिक असतुलन है। इस मन को नियन्त्रित करने की दिशा मे भी हमारा प्रयास होना चाहिए।

मनुष्य अपनी चिन्ताओ पर बेचैनी पर और इन से सम्बन्धित समस्याओ पर समाधान पा सकता है। अभी अमरीका मे ब्लड प्रेशर और दूसरी बीमारिया जिनकी तरफ इशारा किया गया है और जिन का सम्बन्ध मन से है, उनका इलाज वहा डाक्टरो के पास नही है। दो चार बीमारियो का ही है, अधिकाश का नही है। अगर सरकार योग पर, मैडीटेशन पर ध्यान दे और इसको अस्पतालो का अंग बना दे, इसको भी अस्पताल मान कर चले और देश भर मे इसका प्रचार और प्रसार करे तो बहुत सी बीमारिया हैं जिन का इलाज हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारी एक दास मनोवृत्ति बन गई है। जब तक विदेश के लोग किसी बात पर मुहर नही लगाते है, वे उसको अपना नही लेते हैं तब तक हमारा मस्तिष्क उसका स्वीकार करने के लिए तैयार नही होता है। अमरीका मे यहा के हमारे योगी पहुचे, वहां उन्होंने इसका प्रचार किया और वहा इस पर ग्रन्थ लिखे गये। उन्होने वहा अपने शिष्य बनाए और शिष्य ले कर वे यहा आए। तब जा कर यहा के लोगो ने कहा कि इस मे तो कुछ तत्व मालूम पडता है और तब हमारे लोगो का ध्यान इस ओर गया। मैं चाहता हू कि इस ओर सरकार का ध्यान जाए। आप योग और मैडीटेशन पर साइंटिफिक रिसर्च यहां पर कराए। अमरीका मे हो रही है। दुख है कि हमारी अपनी विद्या है और यहां पर इस पर रिसर्च नही हो रही है। कोशिश यही की जानी चाहिए कि वह पागल बने ही नही और जो कारण हैं उनको ही दूर कर दिया जाए। अगर आज थोडा सा भी मैडीटेशन पन्द्रह बीस मिनिट वह करता है और उसको इसका ज्ञान हो जाता है, अभ्यास हो जाता है तो बहुत सी समस्याओ पर उसका काबू हो जाता है और पागलपन की स्थिति तक वह बहुत मुश्किल से पहुच पाएगा। इस पर आप ध्यान दें।

मैं इस विधेयक का आदर करता हूं, स्वागत करता हू। मैं आशा करता हू कि स्वास्थ्य मन्त्री भी इस विधेयक की भावना का स्वागत करेंगे और एक कम्प्रिहैंसिव विधेयक जल्दी लाएगे ताकि यह एक जो बहुत बडी समस्या है इसका समाधान हो सके। ये जो बीमारिया पैदा होती है ये आर्थिक समस्याओ बेकारी, बेरोजगारी, आदि की वजह से भी पदा होती हैं। साथ ही हमारी सामाजिक समस्याये भी है। श्रद्धेय जय प्रकाश जी ने जो नारा दिया है सम्पूर्ण क्रान्ति का उसको साकार करने के लिए सभी मन्त्रालयो को मिल बैठ कर इस समस्या का समाधान निकालाना होगा। वही इसका स्थायी इलाज कर सकेगा।

इन शब्दो के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हू।

श्री राज नारायण : इस बात को मैं पहले ही स्पष्ट कर दू कि डा० सुशीला नायर के व्यक्तित्व का मेरे व्यक्तिगत जीवन पर भी काफी प्रभाव है। गांधी जी से जो उनका सान्निध्य था उसका भी मेरे ऊपर काफी प्रभाव है। माननीय सदस्यो ने जिन्होने भाषण किए हैं उनका भी काफी प्रभाव है। यदि मे डा० नायर से यह सादर साग्रह निवेदन करू कि उनके इस विधेयक की सारी भावनाओ का सरकार अपने विधेयक में समावेश करलेगी और सरकार शीघ्रातिशीघ्र विधेयक प्रस्तुत करने जा रही है और इसको वह वापिस ले लें तो मे समझता हू कि मैं अपने कर्त्तव्य का ही पालन करूगा।

हमारा विधेयक भी तैयार हो गया है। उसको तैयार करने में जिस तरह के इसको

तैयार करने में काफी परिश्रम करना पड़ा है, काफी परिश्रम करना पड़ा है। तमाम राज्यों की राय पहले मांग ली गई है। हमारा जो कानून विभाग है उसने भी उसको अच्छी तरह से देख लिया है। फिर उस पर कुछ न कुछ सुझाव आते ही रहते हैं। जैसा उसका नाम मानसिक स्वास्थ्य विधेयक है। अब इसी पर हमारे यहां विवाद है कि इसका नामकरण क्या हो? मानसिक स्वास्थ्य के माने क्या? तो कुछ लोग कहते हैं कि मानसिक रोग निवारण विधेयक रख दीजिये, कुछ लोग कहते हैं कि मानसिक आरोग्य विधेयक नाम रख दीजिये, कुछ लोग कहते हैं कि विकृतता निवारण विधेयक नाम रख दीजिये। यह मामूली बातें हैं। तो हम भी जो विधेयक लायेंगे हम यह भी सिफारिश करेंगे कि जौइंट सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय जिसमें माननीया सुशीला नायर जी भी रहेंगी, और जो लोग बोले हैं, जो लोग जानकार हैं वह भी रहेंगे, दोनों सदनों के लोग रहेंगे और अच्छी तरह से विचार विनिमय कर के उसकी एक अवधि रख दी जाय कि एक महीना, दो महीने के अन्दर उस विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट आ जाये, और यह मामला चल जायेगा।

मैं इतना बता देना चाहता हूं कि पागलपन, पागल शब्द से मुझको भी थोड़ा सा यह शब्द अरुचिकर है। इसका बदलना जरूरी है। और उसको कैसे बदला जाय यह हमने डा० सुशीला नायर के लिये रख दिया ताकि उनकी सूझबूझ और बहुत ही अच्छी परिपक्व राय आयेगी। मगर एक बात है, यहां अगर मैं रस में आऊं तो पागलपन कहीं कहीं बहुत गहरा ही जाता है:

तंत्री नाद कवित्त रस, सरस राग रति रंग,
अनबूड़े बूड़े तरे, जे बूड़े सब अंग।

तो कहीं कहीं कभी पागलपन भी बहुत भला हो जाता है। वह पागलपन क्या है? जैसे मीरा का कृष्ण में अनुराग, राधा का कृष्ण में अनुराग, प्रेम पागल। तो यह तो मैंने केवल आपके थोड़े से मस्तिष्क के बोझ को हल्का करने के लिये बता दिया।

एक माननीय सदस्य : आप भी पागल हैं किसी के।

श्री राम नारायण : हम पागल हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिये। हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो उस के पीछे हम पागल हैं। और हमारा लक्ष्य क्या है इस के लिये तो फिर कभी संसद् सदस्यों की गोष्ठी हो तो उस में विचार विनिमय किया जाय। मगर एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत से लोग जो अपनी भारतीय पद्धति के बारे में कुछ यहां पर बोल गये, आयुर्वेद के बारे में बोल गये और यह बोल जाते हैं कि हम पीछे जा रहे हैं। अब एक तरफ दुनिया मंगल गृह पर जा रही है और हम पीछे जा रहे हैं। मैं उन से कहना चाहूंगा कि वह अपनी भारतीय संस्कृति को और भारतीय प्राचीन ग्रन्थों को, वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को पढ़ें। गृहों का जितना अच्छा विश्लेषण आप के यहां हैं उतना अच्छा विश्लेषण आप दुनिया में कहीं नहीं पायेंगे। समझ लीजिये कि आपके यहां जो लोग गृहों का निराकरण करने के लिये तमाम लोगों को इधर उधर से देखते हैं समझते हैं, वह क्या है। इन गृहों का सच्चा ज्ञान भारत ने सब से पहले दिया। इन गृहों की दूरी तक नापी, गृह कहां से कहां गये इसके बारे में बताया। ग्रहण के स्वरूप की कल्पना की। मगर यह लोग भूले हुए हैं। तो मैं इन के लिये खाली इतना बता देना चाहता हूं कि अगर मैं आयुर्वेद का नाम ले लूं, ब्रह्मचर्य का नाम ले लूं, अगर कोई ब्रह्मचारी रहे, उस वृत का पालन करे तो पागल हो ही नहीं सकता। मानसिक विकृतता आ ही नहीं सकती। अगर मानसिक विकृतता को दूर करना है तो आप निश्चत रूप से इस बात को मान लीजिये, योग पर बैठिये, साधना कीजिये, ध्यानावस्थित होइये।

रामायणके बारे में यहां बोल गये। पहले रामायण पढ़ो तो। राम राज्य के बारे में

[श्री राज नारायण]

बोल गए। उसे पढ़ो तो। जब विभीषण आये हैं राम के पास तो लोगों ने क्या कहा "जान न जाये निशाचर माया, कामरूप केहि कारण आया। महाराज यह निशाचर है इस को अपने दल में न लो, इस की माया जानी नहीं जा सकती। तो राम ने क्या कहा :

"सुनहु सखा कह कृपा निधाना,
जेहि जय होय सो स्यन्दन आना।"

जब विभीषण घबरा गया और कहने लगा :

"रावण रथी विरथ रघुवीरा,
देख विभीषण भयउ अधीरा।"

तब राम ने कहा :

"सुनहु सखा कह कृपा निधाना,
जेहि जय होय से स्यन्दन आना।"

"हे विभीषण, सुनो। जिस से जय होती है, वह रथ हमारे पास है।" क्या रथ है ?

सौरज, धीरज, तेहि रथ चाका,
सत्यशील दृढ़ध्वजा पताका,
बल विवेक दम-परहित घोड़े,
क्षमा दया, समता रजु जोड़।

अर्थात् हमारे रथ के चार घोड़े हैं : बल, विवेक, दम और परहित। स्वहित नहीं, परहित। बल के साथ विवेक, विवेकपूर्ण बल। विवेकहीन बल और सत्ताराक्षसी है। हम ने जो इमर्जेन्सी काल यहां काटा, वह राक्षसी काल था, वह विवेकहीन बल था।

आप महाभारत को पढ़ें और कृष्ण तथा गांधी की तुलना करें। हम संसद्-सदस्य हैं, मगर इतिहास के कालचक्र का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं है। कृष्ण पैदा होते हैं जमुना के किनारे और मारे जाते हैं समुद्र के किनारे। गांधी पैदा होते हैं समुद्र के किनारे और मारे जाते हैं जमुना के किनारे। इन दोनों बातों का अध्ययन करना चाहिए। मैं केवल आप पर छोड़ दिया है।

कृष्ण ने कहा कि मैं तब इस दुनिया से जाऊंगा, जब यदुवंशियों का संहार करा दूंगा—अपने वंश का। उन का वंश बहुत ही ताकतवर और बलवान था। वह कहते थे कि अगर मैं नहीं रहूंगा, तो हमारे यदुवंशियों के पास इतनी सत्ता है कि वे किसी को रहने नहीं देंगे। इसलिये मैं पहले उन का संहार करा लूंगा। फिर उन्हों ने दुर्वासा मुनि को बुलवाया, शाप दिलवाया, और यदुवंशी आपस में लड़-कट कर मर गये।

कृष्ण को मारता है बाली नामक बहेलिया। राम ने मारा था बाली को। तो बाली नामक बहेलिये ने मारा कृष्ण को, अर्थात् राम को। इस बात को पकड़ लें। अगर मानसिक स्वस्थता हममें है, तो हम इस बात को क्यों नहीं पकड़ते ? गांधी ने 29 जनवरी, 1948 को एक लेख लिखा कि कांग्रेस को तोड़ दो। वह लेख पढ़िये। 30 जनवरी को वह लेख अखबारों में प्रकाशनार्थ दे दिया। तब बड़े बड़े नेताओं ने गांधी जी को मना किया कि अभी आप का लेख नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय आ गया है, तो जायेगा, समय आ गया है। उन्हों ने लेख को प्रकाशनार्थ अखबारों को दे दिया और प्रार्थना सभा में आने लगे। उसी सभा के बीच से एक हत्यारा उठता है, गांधी जी को रास्ते में घेरता है, पाकेट से पिस्तौल निकालता है और उन पर तीन वार करता है। गांधी जी खून से लथपथ होते हैं और प्राण-पखेरू उड़ जाता है। सादे वेश में तीस सिपाहियों की टोली पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के द्वारा वहां तैनात की गई थी वह तीस सिपाहियों की टोली कहां थी ? उस हत्यारे को एक माली के बेटे ने पकड़ा। जो फूलों की क्यारी में काम कर रहा था। उस ने कुदाल फेंक दिया और हत्यारे को पकड़ लिया।

मानसिक विकृतता सत्ता-लोलुपता से भी आ जाती है। इस का भी निवारण करना है। सत्ता-लोलुपता, सत्ता छीनने की लिप्सा, अभिलाषा आप लोक सभा में कल, परसों और नरसों के भाषणों को पढ़ लें। सब के पीछे उन्माद है। उस उन्माद को हम पलटते रहते हैं। आप समझिए कि मानसिक स्वस्थता और मानसिक विकृतता क्या है? इंटर्नल डजर के नाम पर अपने देश मे एमर्जेंसी को लागू कर दिया, यह मानसिक विकृतता के अन्दर आएगा या नहीं? मेरा यह सवाल है। उठ रहे हैं ये सवाल कि कोई दे जवाब। इस सवाल का जवाब होगा। यह भी एक मानसिक विकृतता है। यानी किस तरह से दिमाग खराब हुआ कि इस तरह की एमर्जेंसी आन्तरिक खतरे के नाम पर अपने देश में लग गई और श्री जय प्रकाश नारायण, जिन्होंने सन् 42 मे हजारी बाग जेल को लांघ कर क्रान्ति की बुझती हुई चिन्गारी मे अलग आग फूक दी थी, उन को भी पकड कर के बन्द कर दिया। मोरारजी भाई आज हमारे प्रधान मंत्री हैं उन को भी पकड़ कर के बन्द कर दिया। चौधरी चरण सिंह बीमारी की हालत में थे, उन के पांव की हड्डी बढी हुई थी, उन को भी पकड़ कर बन्द कर दिया। हम से सब लोग रातों रात बन्द कर दिए गए। ...(व्यवधान) .... हम तो हमेशा ही तन्दुरुस्त रहते हैं, हम रंगीले जवानों के लिए तो बहार ही बहार है। इस तरह से सब बातों को आप समझिए: आज जिन बातों को मैं यहां पर रख रहा हूं, मेरा प्रयत्न होगा कि इन के बारे में भी विचार हो, जब ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में यह चीज जाय और इस पर भी सोच समझ कर कोई व्यवस्था हो। डा० सुशीला नायरजी के विधेयक में यह नहीं है और हम ने जो विधेयक रखा है वह उस से बहुत विकसित है, बाकार है मगर उस में भी इस की व्यवस्था नहीं है। एक मर्तबा एशियाटिक साइकिया-ट्रिस्टस कॉन्फ्रेंस थी, उस में वर्ल्ड के कई बड़े-बड़े डाक्टर आए थे, उन के सामने मैंने यही समस्या रख दी। मैंने कहा और मैं यह यहां सदन मे डिक्लेयर करके जाता हूं कि मैं मरूं तो मेरा दिमाग और मेरा पूरा का पूरा शरीर अस्पताल को दे दिया जाय। मेरा कोई परिवार नही। मेरा कोई रिश्तेदार नही, कोई घर नही, किसी से मेरा रिश्ता नहीं, यो सामाजिक दृष्टि से आप देखेंगे तो रिश्ते हो सकते है। बाकी हमारा कोई सबंध नही है। 1958 से इतने साल हम को अपना घर छोड़े हो गए। 58 बार हम कांग्रेस के राज में जेल गए। क्यो? 58 बार मैं जेल गया और 15 साल मैंने जेल मे गुजारे जब से भारत आजाद हुआ। क्यो? इस को भी खोजिए। इस मे भी कही मानस-विकृतता आती है या नही? इस के बारे में भी देखना चाहिए कि मै पागल था क्योंकि मै बराबर जेल जाता था, डडे खाता था, लात खाता था। आप देखिए, यह हमारे मित्र कामत साहब है, इन को देख कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो गई। इन्होंने देखी है, हमारी पुरानी दाढी कितनी खडी थी?

श्री हरि विष्णु कामत: शानदार थी।

श्री राज नारायण: 1956 के मार्च महीने मे काशी विश्वनाथ मंदिर मे हरिजनो का प्रवेश कराने मै गया और श्रीमती इंदिरा गांधी की पुलिस जबर्दस्ती मुझ को तीन फर्लांग दाढ़ी पकड कर खींच ले गई। सैकड़ों लोग जेल मे बन्द कर दिए गए। आज जो बहुत से लोग हरिजनो के नाम पर कोकोडाइल टीयर्स बहाते है, मैं उन से पूछता हूं कि वे कहां थे? यह मानसिक विकृतता की बात है या नही? मैं यह कहता हूं कि —

उछरने वाले अभी तक बाम से न उतरे,
और तड़पने वाले तड़प कर फलक को छू आए।।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): मैंने अपनी दाढ़ी इसीलिये लम्बी नहीं रखी है ताकि कोई खींच न सके।

श्री राज नारायण : जी हां, आप उस को बढ़ाइये ।

तो इस के बारे में भी खोज होनी चाहिए कि मानसिक विकृतता यह है या नहीं। इन तमाम बातों को देखिए । सामाजिक विश्लेषण करते समय देखिए कि कौन किस समय किस दृष्टि से सामाजिक विश्लेषण करता है। उन दृष्टियों को देखिए । नाट लैस देन दर्जन बार तो मैं ने केवल हरिजनों के लिए जेल काटी है। उन के मकान के लिए, उन के खेत के लिए, उन के कुए के लिए, उन के पानी के लिए उन के साथ डंडा लेकर लड़ाई की है और हम तो बन गए, अब क्या बताए ?

नयी नयी बिटिया नये नय गीत ।
गा ले बिटिया भर भर गीत ।।

तो यह सब मानसिक विकृतता में आएगा या नहीं, इस पर भी विचार हो और गम्भीरता के साथ विचार हो । इसीलिए मैं माननीय सुशीला नायर जी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि इस को वे वापस लें । वे उस कमेटी मे बैठें । जो कुछ भी कमी इस विधेयक में हो जो सरकार पेश कर रही है उस को देखें और उन के विधेयक से जो उस में और विकास हुआ है उस को देखें ।

मैं इस सबध मैं आप को और बातें बता देना चाहता हू ।

कुछ फीगर्स भी मैं आप को देना चाहता हू । मैं यह पढ़ रहा था, पहले मैं कोट करना नहीं चाहता था लेकिन चूकि कुछ लोग बोले इसलिए कोट कर रहा हू ·

Dr Glen Davidson, project co-ordinator, who is now in the city has, opined that the systematic approach and inherent features of Ayurveda will have an impact on the medical profession in America."

आयुर्वेद के बारे में उन्होने यह अपनी राय दी है । आगे वे कहते हैं .

"The S.I U. faculty has investigated medical systems in other parts of the world but have found Ayurveda to be the most systematic"

उन्होने कहा है कि आयुर्वेद जो है वह दुनिया मे सब से ज्यादा सिस्टेमेटिक है, यह हम ने पाया है । आयुर्वेद के द्वारा हम कहां तक पागलपन को दूर कर सकते हैं इस पर भी हम को सोचना पडेगा । मै त्यागी जी का जवाब दे रहा हू । डा० सुशीला नैयर को ही जवाब नहीं दे रहा हू । त्यागी जी ने कहा कि दवाओं की क्या व्यवस्था है, इलाज क्या है तो जैसा मैं ने कहा, हम इस के बारे में भी सोच रहे है । हमारा आयुर्वेद, हमारा यूनानी हमारा योग, हमारी प्राकृतिक चिकित्सा– यह सभी जो चीजे है यह पागलपन को दूर करने मे, विकृति को दूर करने मे, विक्षिप्तता को दूर करने मे और मानसिक स्वस्थता को लाने मे कहा तक कारगर होगी, इन बातो पर भी हम विचार कर रहे हैं । आप ऐसा मत सोचे कि उधर हमारी दृष्टि ही नहीं है

श्री हरि विष्णु कामत । क्या यह सही है कि आयुर्वेद पंचम वेद कहलाता है।

श्री राज नारायण : महाभारत पचम वद कहा जाता है, आयुर्वेद उपवेद है ।

आंध्र प्रदेश मे मेंटल हास्पिटल दो हैं, असम मे एक है, बिहार मे दो हैं, दिल्ली में दो हैं, गोवा मे 1 है, गुजरात में चार हैं, हरियाणा में एक भी नही है, जम्मू कश्मीर में दो हैं, केरल मैं तीन हैं, मध्य प्रदेश मे दो हैं, महाराष्ट्र में पाच हैं, मैसूर म दो हैं, उड़ीसा में एक है, पजाब में एक है, राजस्थान में दो हैं, तमिनाडू में एक है, उत्तर देश में तीन हैं और वेस्ट बगाल में चार हैं । इस प्रकार से देश में कुल 38 मेंटल हास्पिटल हैं ।

साइकियाट्रिक क्लिनिक्स जो हैं उनकी भी अलग-अलग फीगर्स मैं आपको दे देता

हू । आंध्र प्रदेश में दो, बिहार में दो, दिल्ली में चार, गुजरात में एक, हरियाणा में एक, जम्मू कश्मीर मे एक, केरल में एक, मध्य प्रदेश में एक, महाराष्ट्र मे एक, मैसूर मे दो, उडीसा मे दो, पजाब में एक, राजस्थान में एक भी नही है, तमिलनाडू मे दो, उत्तर प्रदेश म एक भी नही है और वेस्ट बगाल में पाच हैं ।

जैसा कि सम्मानित सदस्य ने कहा है, कुछ प्राइवेट लाग भी व्यवस्था करते है । जहा तक हमसे हो सकेगा, उनकी सहायता भी हम करेंगे । हम देखेंगे कि यह फूलें फलें और विकसित हो और रास्ते पर चले । अब में सदन का ज्यादा समय नही लेना चाहता, जल्दी-जल्दी बता देता हू ।

अब मैं आप का इस की भूमिका बतलाना चाहता हू—— डा० सुशीला नैयर के मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 1977 पर मैंने विभिन्न माननीय सदस्या, जिन मे डा० सुशीला नैयर भी सम्मिलित है, के विचार बड़े ध्यान से सुने । इस से पहले कि मै इस विधेयक पर टिप्पणी करू, मै सरकार के उन प्रयासो का सक्षिप्त म उल्लेख कर देना चाहूगा जा उस ने भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 का जा इस समय भारत में लागू है, बदलने के लिये किये । सरकार इस बात को समझती है कि भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 के उपबध, जो मुख्यत· यह सुनिश्चित करने के लिये थे कि किसी पागलखाने में जब किसी व्यक्ति को भर्ती किया जाय या रोका जाय, तो उसे कानूनी प्रक्रिया के द्वारा हो ऐसा किया जाय, अब पुराने पड गये हैं । मानसिक रुग्ण इन व्यक्तियो के प्रति अब समाज का रुख बहुत कुछ बदल चुका है और अब यह महसूस किया जाने लगा है कि इस बीमारी से कोई एप्रोबियम नहीं जोडा जाना चाहिये, क्योकि यह एक साध्य रोग है, खास कर यदि इस का प्रारम्भिक अवस्था में ही निदान हो जाय । इसी उद्देश्य को ध्यान म रखते हुए सरकार ने उस पुराने पड़ गये पागलपन अधिनियम को बदलने के लिए मानसिक स्वास्थ्य विधेयक का प्रारूप बनाना शुरू किया ।

28 सितम्बर, 1966 को केन्द्रीय मत्रिमडल ने ऐसा कानून बनाने के लिये एक स्थूल नीति अनुमोदित की । तथापि ऐसे एक विधेयक को वस्तुत पेश करने म विलम्ब हो गया, क्योकि यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस विधेयक का प्रारूप पूर्णत. व्यापक हो और इस विषय पर नवीनतम अनुसधान के आधार पर इस में आधुनिक विचारणा की नवीनतम प्रवृत्ति प्रतिबिम्बित हो, इस विधेयक को सभी राज्य सरकारो/ केन्द्र शासित क्षेत्रो में परिपत्रित किया गया और इस विषय से सम्बन्धित सगठनो से भी सम्पर्क किया गया ताकि इन सब के विचार प्राप्त हो सकें । विभिन्न विकसित देशो में इस विषय से सम्बन्धित कानून की प्रतिलिपियां भी प्राप्त की गईं । यद्यपि कुछ राज्य सरकारो तथा केन्द्र शासित क्षेत्रो ने इस के पक्ष में अपने विचार व्यक्त किये, किन्तु अधिकाश किन्तु अधिकाश राज्य सरकारो आदि ने स्मरण पत्र भेजे जाने के बावजूद अपने विचार भेजने मे देर करदी। 1975 मे सरकार ने यह महसूस किया कि क्योकि इस मामले मे बिलम्ब हो गया है, इसलिए विधेयक के प्रारूप में इस विषय पर नवीनतम चिकित्सीय दृष्टिकाण प्रतिबिम्बित नही होता । फलत इस विधेयक का प्रारूप फिर से तैयार किया गया । अब सरकार के पास एक विधेयक है, जो भारत में व्याप्त स्थितियो के परिपेक्ष्य मे उपलब्ध मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत हद तक एक नवीनतम प्रबन्ध है ।

जहां तक डा० सुशीला नैयर के मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 1977 का प्रश्न है, यह बतला देना प्रासगिक होगा कि यह विधेयक लगभग वैसा ही है, जैसा कि 1966 में जब डा० सुशीला नैयर केन्द्रीय स्वास्थ्य मत्री थी, सरकार द्वारा तैयार किया गया विधेयक था । तब से 1966 के इस सरकारी विधक

[श्री राज नारायण]

के बहुत से उपबंध विभिन्न राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के अलावा मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र के विशेषज्ञों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर संशोधित हो चुके हैं। विधेयक की भाषा को भी विधि, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों के साथ अनेक बार परामर्श करने के परिणामस्वरूप कानूनी दृष्टि से अधिक स्वीकार्य बना दिया गया है। इन सामान्य सुधारों के अलावा हमारे विधेयक में कुछ अतिरिक्त उपबंध भी उपलब्ध हैं जो डा० सुशीला नैयर द्वारा प्रस्तुत किये गये इस विधेयक में शामिल नहीं है। ये उपबंध है—

धारा 19 इस धारा में मानसिक रूप से रुग्ण ऐसे व्यक्तियों की भर्ती करने की व्यवस्था है जो कतिपय विशेष परिस्थितियों में स्वयं भर्ती होने की अपनी इच्छा को व्यक्त न कर सकते हों।

धारा 46 : इस धारा में यह व्यवस्था है कि यदि इस अधिनियम के अधीन जारी किसी आदेश के अनुसरण में पागलखाने में भर्ती कोई मानसिक रोगी यह महसूस करे कि वह ठीक हो गया है तो वह अपनी छुट्टी के लिए आवेदन कर सकता है।

धारा 52 : इस धारा में किसी मजिस्ट्रेट के आदेशों के विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील किए जा सकने की व्यवस्था है।

धारा 92 : इस धारा में यह निर्दिष्ट किया गया है कि किसी मानसिक-चिकित्सा अस्पताल आदि का मेडिकल अफसर इन्चार्ज अपनी संस्था में रखे गये हर मानसिक रोगी की मानसिक और शारीरिक दशा के बारे में अर्द्ध-वार्षिक रिपोर्ट देगा।

धारा 94 : इस धारा में कतिपय परिस्थितियों में राज्य के खर्च पर मानसिक रोगी को कानूनी सहायता दिए जाने की व्यवस्था है।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि हमारे प्रस्तावित विधेयक की धारा 46, 52 और 94 मानसिक रुग्ण व्यक्तियों के प्रत्यक्ष हित में शामिल की गई है। विधेयक की धारा 19 इस अधिनियम के उपबंधों में कतिपय अन्तरों को दूर करने के उद्देश्य से शामिल की गई है। धारा 92 अस्पताल आदि में देख-रेख के लिए रखे गए मानसिक रुग्ण व्यक्तियों के हित में भी है। इन बातों को देखते हुए और यह देखते हुए कि मैंने अनेक बार इस सम्मानित सदन और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाहकार समिति को सूचित कर दिया है कि सरकार शीघ्र ही संसद् में मानसिक स्वास्थ्य विधेयक प्रस्तुत करने का विचार रखती है, गैर-सरकारी सदस्य डा० सुशीला नायर से अपना विधेयक वापिस लेने का पुनः अनुरोध करता हूं और सादर और साग्रह अनुरोध करता हूं कि वह अपना विधेयक वापस ले लें और जो सरकारी विधेयक हो, वह ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में जाए और डा० सुशीला नायर अपनी सारी जानकारी, अपने सारे ज्ञान और अपनी सारी प्रतिभा ले कर उस कमेटी का सुशोभित करें और उस कोटी को सुशोभित कर के उस का एक सुन्दर स्वरूप दें और सम्मानित सदस्यों ने जो भाव यहां पर व्यक्त करे हैं, उन सभी भावों का उस में समावेश हो।

श्री हरि विष्णु कामत : कब तक वह विधेयक प्रस्तुत होगा ?

श्री राज नारायण : मैं तो चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस सदन में आए और इसी सत्र में आ जाए। वह विधेयक बना हुआ है।

अब अगर डा० सुशीला नायर की कुछ हमारे में अविश्वास हो, तो मैं उन से कहीं

कहना चाहता हूं जैसा हनुमान जी ने श्रीर म से कहा था कि अगर मेरे मैं शक्ति हो, तो मे अपना पेट चीर कर दिखा दू और फिर आप देखेंगे कि हमारे हृदय मैं राम नाम अंकित होगा। वही मे डा० सुशीला नायर जी मे निवेदन करता हू कि वे अविश्वसनीय वातावरण मैं विचरण न करे। अविश्वसनीय वातावरण से विचरण करने से बुद्धी मैं मदता आनी है। इसलिए मे कर-बद्ध प्रार्थना करूगा, विनय के साथ प्रार्थना करूगा कि उन की इच्छा, उन की मशा जो कुछ वे अपने मत्री रहते हुए नही कर पाई उस को जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी और व्यापक रूप मे पूरा करेगी।

इन शब्दो के साथ पुन उन मे निवेदन करते हुए और इस सम्मानित सदन के सम्मानित सदस्यो से निवेदन करते हुए, मे चाहूगा कि सदन उन से कहे कि वे अपना विधेयक वापस ले लें और उस के स्थान पर एक सरकारी विधेयक व्यापक रूप मैं यहा पर प्रस्तुत हो और शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत हो। इस से न तो धरा घटेगी और न ही गगन फटेगा।

डा० सुशीला नायर (झांसी) मे सभी सम्मानीय सदस्यो की आभारी हू जिन्होंने इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त किये है और इस विधेयक का स्वागत किया है। श्रीमन् में माननीय स्वास्थ्य मत्री जी का अविश्वास नही करती, मे इस बात को स्वीकार करती हू कि उनके दिल मैं रोगियो के लिए कुछ करने की तमन्ना है। वह मानसिक रोगियो के लिए भी कुछ करना चाहते हैं और दूसरे रोगियों के लिए भी कुछ करना चाहते है। लेकिन में बडे अदब से कहना चाहती हू कि उन्ही की तरह मे भी इस सम्बन्ध मैं बाते करती थी। में जब स्वास्थ्य मत्री थी उस समय, जब दूसरे लोग इस प्रकार के बिल लाया करते थे, मे भी कहा करती थी कि इस सबंध में सरकार विधेयक ला रही है। यह बात नहीं है कि हमने उस समय बिल हीं बनाया था, हमने बिल तैयार किया था और यह जो बिल मेने इस सदन के सामने रखा है, यह वही बिल है जो स्वास्थ्य मत्री के रूप मैं मेंने तैयार करवाया था। हा, इसमैं कुछ विशेषज्ञो की सलाह से थोडा बहुत सुधार अवश्य किया है। हो सकता है कि स्वास्थ्य मत्री जी ने अपने बिल मै कुछ और जोडा हो। लेकिन श्रीमन् मे नम्रता से फिर कहना चाहती हू कि स्वास्थ्य मत्री जी के बिल मैं और मेरे बिल मैं बहुत बडा फर्क नही है। जो बिल मेने सदन मैं पेश किया है उसमैं मैंटल हास्पिटल्स और, मैन्टल नर्सिग होम्स की बात कही है और जो बिल मत्री जी लाये हैं उसमे साएकिएट्रिक होस्पिटल्स एड साएकिएट्रिक नर्सिंग होम्स के बारे मैं कहा गया है। अधिकतर सब बातें एक सी है। इसी प्रकार से दो चार धाराए मत्री जी ने और बढायी है। आपके बिल की करीब सभी धाराए मेरे बिल मैं मौजूद है। अब सवाल यह है कि आपका कहना है कि हम इसी सत्र मैं यह बिल लायेगे। लेकिन मेरा अपना निजी अनुभव है कि पूरी इच्छा होते हुए भी और पूरा परिश्रम करते हुए भी, मे पाच वर्ष तक बिल लोक सभा मै नही ला सकी। मुझको मानसिक स्वास्थ्य के बिल के लिए समय ही नही दिया गया। 1962 से 1967 तक हमने इस बिल को लाने का प्रयास किया था। 1975 तक यह बिल नही लाया गया। फिर इस पर पुनर्विचार किया गया। इस पर पुर्नविचार के बाद यह बिल हमारे सामने आया है, जिस पर कि आज आप विचार कर रहे है। मत्री जी इसे वापस लेने को कह रहे है।

मत्री महोदय से मेरा इतना ही निवेदन है कि जब वे इस प्रकार का बिल स्वीकार करने के लिए तैयार है, इस बिल की भावना से आप सहमत है तो मेरा कहना यह है कि बजाय इसके कि आप दूसरा बिल लाएं जिसके लिए आपको लोक सभा से समय मिले या न मिले, जब कि यह बिल लोक सभा

[डा० सुशील नायर]

के सामने है तो इसी बिल को प्रवर समिति के सामने आप क्यों नहीं रख देते ? आप इसमें जो छोटा-मोटा सुधार करना आवश्यक समझे वह प्रवर समिति द्वारा कर सकते हैं। इस बिल को मंत्री जी प्रवर समिति को भेजने की सहमति दें।

श्रीमन मे यह बिल प्रवर समिति के लिए पेश करती हू और स्वास्थ्य मंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हू कि वे इस विधेयक को पास करने का समय लगाये नहीं। मानसिक रोग एक बहुत बडी समस्या है। मे अपने परिवार में मानसिक रोग को देख चुकी हू और मित्रो के यहा भी। इसी वजह से मेरे दिल में यह लगन है तडप है। मे जानती हू कि मानसिक रोगियो की क्या हालत होती है, उनका दाखिल कराने में कितनी कठिनाई होती है। अस्पताला में रोगियो की क्या हालत होती है, यह सब मे जानती हू। मे इस सम्बन्ध में अनुभव कर चुकी हू, देख चुकी हू। श्रीमन मंत्री महादय, बडे लगन वाले उदार व्यक्ति हैं। मैं उन से सहमत हू कि मानसिक रोगी केवल पत्थर फेंकने वाला पागल ही नही होता है। जिस प्रकार श्रीमती इदिरा गाधी ने गलत काम किये वह भी एक प्रकार की मानसिक विकृति ही थी। अंग्रेजी में इसे इमोशनल इनसिक्योरिटी कहते हैं। इमोशनली इनसिक्योर व्यक्ति को यह दिखाना होता है कि मे बहुत बडा हू, मेरे से बडा कोई नही है और वह अनेक प्रकार के गलत काम करता है। इस देश में एक मि० जिन्ना थे वो इसी प्रकार से मानसिक विकृति के शिकार थे और उनके कारण इस देश का विभाजन हुआ। इसी प्रकार की मानसिक विकृति वाले एक हिटलर थे जिस ने यूरोप मे खून की नदियां बहाई। मानसिक विकृति को शुरू में ही पकड लिया जाए, उसको दुरुस्त कर दिया जाए, यह अत्यन्त आवश्यक है। इस विषय में आयुर्वेद का भी स्थान है, यह मे अच्छी तरह से जानती हू।

मे स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हू कि हमारा जो शब्द है स्वास्थ्य वही सब से अच्छी डैफीनीशन है मानसिक हैल्थ की। स्व मतलब सैल्फ। स्थ अर्थात स्टेबलिटि स्थिरता जिस की अपने अन्दर स्थिरता है स्टेबिलिटी विदिन सैल्फ। यही मेंटल हैल्थ का सिक्रिट है। हमारा हिन्दी का शब्द स्वास्थ्य मेंटल हैल्थ की खूबसूरत डैफीनीशन है।

इससे आगे जा कर मैं कहना चाहती हूं कि बगलौर में एक मेंटल हैल्थ इस्टीटयूट है। वहा पर एक आयुर्वेद के विशेषज्ञ थे। उनके द्वारा हमने सिजोफेनिया वालो का ट्रीट्मेंट कराया था और वह इतना सफल हुआ था कि हम ने वहां पर पचास बैड उनके लिए कर दिए थे। ऐसे बहुत से किस्से है जिन का आप जानते हैं।

16 53 hrs

[SHRI DHIRENDRANATH BASU *in the Chair*]

जो विधेयक मैंने पेश किया है उस मे अस्पताला के अन्दर चिकित्सा, आउट डोर तरीके की चिकित्सा, क्लिनिक द्वारा चिकित्सा, स्वेच्छा से मरीज अस्पताल में जा सके और अस्पताल से निकल आए, मैजिस्ट्रेट के पास अपील इत्यादि करने की व्यवस्था सब चीज मौजूद है। मे स्वीकार करती हू कि मंत्री महोदय के पास जितने साधन है मेरे पास इस बिल को रिवाइज करने के, सुधारने के उतने साधन नही थे। मैंने जितने भी मेरे मित्र थे, विशेषज्ञ थे, उन से पूछ कर इस में सुधार जितना मैं कर सकती थी किए। अब इस में और भी जितने सुधार वह करना चाहते हैं बडी आसानी से प्रवर समिति के सामने आ कर वे कर सकते

हैं और दूसरे लोग भी अपने सुझाव उस समिति को दे सकते है । अगर इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया गया तो इसका परिणाम यह होगा कि दो चार छ महीने मे यह बिल कानून बन जाएगा और अनेकानेक मानसिक रोगियों को राहत मिलेगी । अगर मंत्री महोदय इसको स्वीकार नही करेंगे, इसको वापिस लिए जाने का आग्रह करेंगे तो यह सारी प्रक्रिया लम्बी जाएगी । प्रभु जाने कब उनको वक्त मिलेगा । उनकी इच्छा रहते हुए भी काम इतना होता है लोक सभा में कि सभव नही हो पाता है कि सभी बिलो को लाया जा सके या पास करवाया जा सके ।

सभापति महोदय, मे आपकी आज्ञा से ये बीस नाम प्रवर समिति के लिए उनकी सेवा में पेश करना चाहती हू । डा० कर्ण सिंह, डा० सरदीश राय, श्री कृष्ण कान्त, डा० मुरली मनोहर जाशी, श्री हरि विष्णु कामत, श्रीमती मृणाल गोरे, श्री सी० के० चन्द्रप्पन

MR CHAIRMAN: The motion is for the consideration of the Bill.

DR SUSHILA NAYAR: I am saying that the Bill .

PROF P G MAVALANKAR (Gandhinagar): She is moving an amendment for sending it to the select committee.

DR. SUSHILA NAYAR: I am saying that the Bill which I have presented, may be agreed to by the hon. Health Minister and sent to Select Committee, consisting of the 20 names that I have given here, plus such names as may be given by the Rajya Sabha, so that the few small changes that have been made in the Government draft Bill which the Minister wants to present, can be incorporated in this very Bill. I read out the remaining names. They are: Prof. P. G. Mavalankar, Shri Saugata Roy, Shri Vasant Sathe, Shrimati Pramila Chavan, Shri Satyanarayana Rao, Shri Venkataraman, Dr. Bapu Kaldate, Dr. Ramji Singh, Prof. Dalip Chakravarty, Shri Ravindra Varma, Shri Shanti Bhushan, Shri Raj Narain and Dr. Sushila Nayar. These are the 20 names that I would suggest. I would request most humbly, most forcefully, with folded hands that the Health Minister may please accept this Bill in the interests of the suffering mentally sick people. He may please introduce such changes as he desires in this very Bill in the Select Committee, so that there is no chance of this matter being again put in cold storage I know the Health Minister will not wish to do it. मुझे विश्वास है कि वह इस काम को जल्दी कराना चाहते है। लेकिन होगा नही। मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह रही हू। मैंने पूरी ताकत लगा दी थी लेकिन पाच बरस मे यह बिल पास नही करा पाई। उन से भी नही होगा। मानसिक रोगियो के लिए यह बहुत दुख की बात है कि यह विधेयक फिर से खटाई में पड जाये। इसलिए अत्यन्त विनम्रता से मंत्री महोदय से पुन निवेदन है कि वह सिलेकट कमेटी के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले और इस मे उन के अपने जो भी सुधार है, उन्हें शामिल कर लें ।

श्री राम बेली राम (पलामू) · सभापति महोदय, मेरा पायंट श्र फ आर्डर है । क्या किसी प्राइवेट मेम्बर को यह राइट है कि वह स्वयं सिलेक्ट कमेटी के मेम्बरो के नामे प्रोपोज करे ?

PROF. DILIP CHAKRAVARTY (Calcutta South): Mr. Chairman, so far as that point of order is concerned, I do not think anything precludes the hon. Member from suggesting certain names for consideration by the hon. Minister. It is the Minister who will finally suggest the names of Members. But nothing precludes a Member from suggesting some names for the consideration of the Minister.

श्री राज नारायण . सभापति महोदय, मैंने सविनय, सादर, साग्रह माननीया डा० सुशीला नायर से करबद्ध प्रार्थना की है कि वह इस साधु विधेयक को वापस ले लें, क्योंकि उनकी सारी मंशा को रखते हुए, और व्यापक दृष्टिकोण से, तमाम राज्यों के जो सम्मितियां आई है, उनका और तमाम विशेषज्ञों तथा विश्व के अनेक विद्वानों की सम्मतियों का समावेश करके सरकार ने एक विधेयक तैयार किया है। उस विधेयक को ला-डिपार्टमेंट और अन्य सम्बन्धित डिपार्टमेंट्स ने देख लिया है। वह विधेयक हम जल्दी से जल्दी लायेंगे। मालूम नही क्यों एक मामूली सी बात को समझा नही गया, जो डाक्टर की समझ मे आनी चाहिए, और वह है व्हील आफ हिस्ट्री—इतिहास चक्र।

एक जमाना था सुशीला जी के मन्त्रि-मंडल काल का। एक जमाना है हमारा। 1969 मे श्री नीलम सजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए तिकडम, साजिश और धोखे से हराया गया। लेकिन वही श्री नीलम सजीव रेड्डी आज राष्ट्रपति पद पर विराजमान हैं। 1969 मे श्री मोरारजी देसाई मन्त्रि-मंडल से साजिश, तिकडम और बेईमानी के द्वारा हटने के लिए मजबूर किये गये। मगर वही मोरारजी भाई देसाई आज भारत के प्रधान मन्त्री के पद पर आसीन है। यह है इतिहास का कालचक्र जो काम सुशीला जी स्वास्थ्य मन्त्री के रूप में नही कर पायी जनता पार्टी की सरकार उस काम को कर पाएगी, मैं उनको यह विश्वास दिलाता हू। इसलिए मैं फिर उनसे प्रार्थना करता हू कि वह इतिहास के काल-चक्र को समझते हुए अपने विधेयक को वापस लेने की अनुवार कृपा करें और सरकार के विधेयक लाने के अवसर का इतजार करे और अगर नही करे तो.. (व्यवधान)..

17.00 hrs.

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर): मंत्री महोदय ने कहा कि लाएगे, तो कितनी जल्दी लाएगे यह बता दें।

श्री राज नारायण : जल्दी से जल्दी, त्वरित गति से, इसी सेशन में लाएंगे और उसको ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में भेज देंगे। सुशीला जी उसमें विराजमान रहेंगी।

डा० सुशीला नायर : मुझे खेद है कि मन्त्री महोदय ने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की और वह नही करेंगे तो पार्टी के एक डिसिप्लिन्ड सदस्य के नाते मुझे विधेयक वापिस लेना पडेगा लेकिन मुझे खुशी इस मे बिलकुल नही है, इतना मैं कहना चाहती हू। मैं सदन की आज्ञा चाहती हू वापिस लेने की।

I beg leave of the House to withdraw the Bill to consolidate and amend the law relating to the treatment and care of mentally ill persons, to make better provision with respect to their property and affairs and for matters connected therewith or incidental thereto

MR. CHAIRMAN The question is:

"That leave be granted to withdraw the Bill to consolidate and amend the law relating to the treatment and care of mentally ill persons, to make better provision with respect to their property and affairs and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted

DR. SUSHILA NAYAR: I withdraw the Bill

The Bill was by leave, withdrawn.